



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112021-230896
CG-MH-E-02112021-230896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 535]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 अक्टूबर, 2021

फा.सं. टीएएमपी/49/2021-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के मार्गाधिकारों/विशेष मार्गाधिकारों की 01 अक्टूबर, 2017 से 30 सितम्बर, 2022 तक की दर अनुसूची के अनुमोदन के लिए एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं.टीएएमपी/49/2021-एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर, 2021 के 25 वें दिन पारित)

यह मामला मुंबई पत्तन न्यास से 07 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या एफए/ओईए-एल/21(90)/सामान्य/229 के अंतर्गत मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के मार्गाधिकारों / विशेष मार्गाधिकारों की 01 अक्टूबर, 2017 से 30 सितम्बर, 2022 तक की दर अनुसूची के अनुमोदन के लिए एमबीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमबीपीटी का प्रस्ताव संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2015 पर आधारित है। प्रस्ताव के बारे में प्रयोक्ताओं / किरायेदारों / पट्टाधारकों के साथ परामर्श किया गया। मामले की संक्रिया के दौरान प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों ने अपने अपने निवेदन रखे। एमबीपीटी ने प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर दिया। इस मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14 अक्टूबर, 2021 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में एबीपीटी और प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।
3. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, इस प्राधिकरण ने एमबीपीटी के मार्गाधिकारों / विशेष मार्गाधिकारों की 01 अक्टूबर, 2017 से 30 सितम्बर, 2022 तक की अवधि के लिये दर अनुसूची के अनुमोदन के लिए एमबीपीटी दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक सकारण आदेश पारित किया।
4. यह प्राधिकरण चाहता है कि 01 अक्टूबर 2017 से एमबीपीटी की कार्गो परिचालित और उससे संबंधित पाइप लाइन की 17 रेडी रेक्टर जोनों के लिये और गैर कार्गो परिचालित पाइप लाइन की 31 रेडी रेक्टर जोनों की निम्नलिखित मार्गाधिकार निर्धारण प्रभार अनुसूची को, सकारण आदेश की अधिसूचना की प्रतीक्षा किये बिना, अधिसूचित किया जाये:

“01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिये मुंबई पत्तन न्यास की मार्गाधिकार प्रभार अनुसूची

(i). कार्गो परिचालित पाइप लाइन आदि के लिये 01.10.2017 को विशेष मार्गाधिकार दर:

क्रम संख्या	प्रभाग / गांव का नाम	आर आर ज़ोन संख्या	भूमि के ऊपर पाइपलाइन/तार डालने के लिए 01.10.2017 को लागू दर प्रति माह प्रति वर्ग मीटर (एफएसआई=1 के लिए प्रभारित की जायेगी) (रु. में)
1	कोलाबा	1/3	1,400.00
		1/3ए	1,196.50
		1/6	983.00
		1/6ए	943.00
2	फोर्ट	2/9	750.00
		2/12	1,149.00
		2/13	915.50
		2/22	506.50
		2/23	485.00
		2/34	492.50
3	प्रिंसेज़ डाक	3/35	392.00
		3/35बी	389.50
		3/36	282.00
		3/36ए	492.50
4	मालाबार हिल	7/64	1287.50
		7/66	1960.50
5	मझगांव	10/78ए	258.00
		10/78बी	187.50
		10/79	348.50
		10/79ए	140.50
		10/80	135.50
6	परेल सेवरी	11/84	475.50
		11/84ए	282.00

क्रम संख्या	प्रभाग / गांव का नाम	आर आर ज़ोन संख्या	भूमि के ऊपर पाइपलाइन/तार डालने के लिए 01.10.2017 को लागू दर प्रति माह प्रति वर्ग मीटर (एफएसआई=1 के लिए प्रभारित की जायेगी) (रु. में)
		11/85	156.50
		11/85ए	196.00
		11/86	131.00
7	वर्ली	13/97	567.50
8	दादर नईगांव	14/101	201.00
		14/101ए	326.00
9	मादुंगा	16/110	453.50
10	माहिम	17/116	608.50
		17/119	493.00
11	माहुल	90/419	97.00
12	अम्बापाडा	96/436	226.00
13	गोवंडी / देवनार	100/471	533.00
14	गोवंडी / बोरला	99/463	282.00
15	तितवाला (केडीएमसी)	26/81	111.25
16	कन्होजी / आंग्रे		22.50
17	जवाहर द्वीप	90/419	97.00

टिप्पण:

1. उक्त दरों में सभी कर (जीएसटी, कर आदि), सेवा प्रभार, शास्तियां और ब्याज आदि शामिल नहीं हैं। पट्टाधारकों को इनका, यथा लागू, अलग से भुगतान करना होगा।
2. आप्टिकल फाइबर केबल के लिए विशेष मार्गाधिकार शुल्क उक्त दरों पर लागू होगा, परंतु परिकलन के लिये चौड़ाई 1 मीटर के स्थान पर न्यूनतम आधा मीटर ली जायेगी।
3. न्यूनतम गारंटीकृत आद्योपांत (एमजीटी) प्राप्त करने में असफल रहने की स्थिति में, प्रयोक्ता कम मात्रा के लिए अतिरिक्त घाटशुल्क प्रभारों का भुगतान करके पत्तन की प्रतिपूर्ति करेगा।
4. मार्गाधिकार अनुमति से संबंधित अन्य पहलुओं को मौजूदा भू नीति दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जायेगा।
5. चाहे मांग की गई है या नहीं, किरायेदारों/पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा किसी महीने के मार्गाधिकार / विशेष मार्गाधिकार शुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें दिन को या उससे पहले करना होगा।
6. मार्गाधिकार शुल्क परिकलन का सूत्र इस प्रकार होगा:
भूमि के प्रति माह मार्गाधिकार शुल्क परिकलन का सूत्र

$$\text{पाइपलाइन की लंबाई} \times (\text{इसुलेशन सहित बाहरी व्यास} + 600 \text{ एमएम} \text{ -----} \times \text{लागू दर}$$

(न्यूनतम चौड़ाई 1 मीटर
के अधीन)

1000

ट्रेसल का प्रति माह मार्गाधिकार शुल्क परिकलन का सूत्र =

पाइपलाइन की लंबाई x (इसुलेशन सहित बाहरी व्यास) x लागू दर

300

7. प्रत्येक अक्टूबर महीने में मार्गाधिकार शुल्क में 4% की वृद्धि की जायेगी। 4% की पहली वृद्धि 01.10.2018 से प्रभावी होगी।
8. मार्गाधिकार प्रभारों के प्रयोजन से, ट्रेसल क्षेत्र को छोड़कर, पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उन पाइपलाइनों की लंबाई और चौड़ाई (न्यूनतम 1 मीटर के अधीन) के आधार पर गणना की जायेगी।
9. वायुमंडल, भूमिगत, सागरतल और सागरतल से नीचे घेरे गए क्षेत्र के मार्गाधिकार प्रभार उक्त दर के 50% होंगे। जल क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क संसक्त भूमि के लाइसेंस शुल्क का 50% होगा। भूमि से ऊपर सेवा का मार्गाधिकार शुल्क पूरी दर पर आधारित होगा।
10. अंतरीय क्षेत्रों के बकायों पर ब्याज तब तक लागू नहीं होगा जब तक मांग सूचना नहीं भेज दी जाती। यदि पार्टी मांग सूचना/बीजक के अनुसार मांग सूचना/बीजक की तारीख से 3 महीने के निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहती है, तो मौज्जादा नीति के अनुसार 18% प्रति वर्ष की दर पर अथवा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिये गए निर्णय के अनुसार ब्याज लिया जायेगा।

(ii). गैर-कार्गो परिचालित पाइप लाईन आदि की 01.10.2017 को विशेष मार्गाधिकार दरें

क्रम संख्या	रेडी रेकर ज़ोन	यूनिट संख्या	डिवीज़न	भूमि के ऊपर पाइपलाइन/तार डालने के लिए 01.10.2017 को लागू दर प्रति माह प्रति वर्ग मीटर (एफएसआई=1 के लिए प्रभारित की जायेगी) (रु. में)
क	ख	ग	घ	ङ
1.	14/101	यूनिट 1	दादर नईगांव	201.00
2.	90/419 (पीर पाओ)	यूनिट 1,14	मेहुल	97.00
3.	10/79	यूनिट 2, 6,7	मझगांव	348.50
4.	10/80	यूनिट 4,7,8,9,13	मझगांव	135.50
5.	2/13	यूनिट 9,11,15	फोर्ट	915.50
6.	2/22	यूनिट 11	फोर्ट	506.50
7.	17/119,	यूनिट 14	माहिम	493.00
8	17/116	यूनिट 14	माहिम	608.50
9.	14/101ए	यूनिट -1	दादर-नईगांव	326.00

10.	11/86	यूनिट -1,5,13	पारेल सेवरी	131.00
11.	11/85ए	यूनिट -3	पारेल सेवरी	196.00
12.	11/85	यूनिट -4,5,13	पारेल सेवरी	156.50
13.	11/84	यूनिट -2	पारेल सेवरी	475.50
14.	11/84ए	यूनिट -2	पारेल सेवरी	282.00
15.	10/79ए	यूनिट -3	मझगांव दिवी	140.50
16.	10/78ए	यूनिट -6,8	मझगांव	258.00
17.	10/78बी	यूनिट -8	मझगांव	187.50
18.	3/36	यूनिट -9,14	एलफिंस्तान, माले बंदर	
	3/36	यूनिट -14	फेरी वार्फ, प्रिंसेस डाक	282.00
19.	3/35	यूनिट 9,10,14	एस डी / बंदर	392.00
20.	3/35B	यूनिट -9,10	प्रिंसेस डाक	389.50
21.	2/23	यूनिट -9,11,15	मोडी खाडी, फोर्ट, इंदिरा डाक	485.00
22.	2/9	यूनिट -11	फोर्ट	750.00
23.	2/12	यूनिट -12,	वेलिंग्टन एस्टेट, अपोलो बंदर, फोर्ट	1,149.00
24.	1/6ए	यूनिट -14,12	जमशेदजी बंदर, कोलाबा	943.00
	1/6ए	यूनिट -12 & 14	सासून डाक(भीतर), कोलाबा	943.00
	1/6A	यूनिट -12	अपोलो एस्टेट	943.00
25.	1/3	यूनिट -12	अपोलो एस्टेट , कोलाबा	1,400.00
26.	1/3ए	यूनिट -12	कोलाबा	1,196.50
27.	1/4	यूनिट -15	पाईलट बंदर , कोलाबा	
28.	100/471	यूनिट -5	गोवंदी/देवनार	533.00
29.	99/463	यूनिट -5	गोवंदी /बोरला	282.00
30.	26/81(ठाणे- कल्याण आर आर)	यूनिट -5	तितवाला	111.25
31.	जवाहर दीप (द्वीप) तथा उद्गाराधीन भूमि	यूनिट -12,14	नजदीकी ज़ोन 90/419	97.00

(भूमि मूल्य की सभी दरों को निकट के '10/- में पूर्णांकित किया गया है)

1. उक्त दरों में सभी कर (जीएसटी, कर आदि), सेवा प्रभार, शास्तियां और ब्याज आदि शामिल नहीं हैं। पट्टाधारकों को इनका, यथा लागू, अलग से भुगतान करना होगा।
2. ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए विशेष मार्गाधिकार शुल्क उक्त दरों पर लागू होगा, परंतु परिकलन के लिये चौड़ाई 1 मीटर के स्थान पर न्यूनतम आधा मीटर ली जायेगी।
3. मार्गाधिकार अनुमति से संबंधित अन्य पहलुओं को मौजूदा भू नीति दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जायेगा।
4. चाहे मार्गाधिकार / विशेष मार्गाधिकार मांग की गई है या नहीं, किरायेदारों/पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों द्वारा किसी महीने के मार्गाधिकार / विशेष मार्गाधिकार शुल्क का भुगतान अगले महीने के 15वें दिन को या उससे पहले करना होगा।
5. मार्गाधिकार शुल्क परिकलन का सूत्र इस प्रकार होगा:

भूमि का प्रति माह मार्गाधिकार शुल्क परिकलन का सूत्र

$$\frac{\text{पाइपलाइन की लंबाई} \times (\text{इसुलेशन सहित बाहरी व्यास} + 600 \text{ एमएम}) \times \text{लागू दर}}{(\text{न्यूनतम चौड़ाई 1 मीटर के अधीन}) \quad 1000}$$

ट्रेसल का प्रति माह मार्गाधिकार शुल्क परिकलन का सूत्र =

$$\frac{\text{पाइपलाइन की लंबाई} \times (\text{इसुलेशन सहित बाहरी व्यास}) \times \text{लागू दर}}{300}$$

6. प्रत्येक अक्टूबर महीने में मार्गाधिकार शुल्क में 4% की वृद्धि की जायेगी। 4% की पहली वृद्धि 01.10.20 से प्रभावी होगी।
7. मार्गाधिकार प्रभारों के प्रयोजन से, ट्रेसल क्षेत्र को छोड़कर, पाइपलाइनों द्वारा घेरे गए क्षेत्र में पाइपलाइनों की लंबाई और चौड़ाई (न्यूनतम 1 मीटर के अधीन) के आधार पर गणना की जायेगी।
8. वायुमंडल, भूमिगत, सागरतल और सागरतल से नीचे घेरे गए क्षेत्र के मार्गाधिकार प्रभार उक्त दर के 50% होंगे। जल क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क संसक्त भूमि के लाइसेंस शुल्क का 50% होगा। भूमि से ऊपर सेवा का मार्गाधिकार शुल्क पूरी दर पर आधारित होगा।
9. अंतरीय क्षेत्रों के बकायों पर ब्याज तब तक लागू नहीं होगा जब तक मांग सूचना नहीं भेज दी जाती। यदि पार्टी मांग सूचना/बीजक के अनुसार मांग सूचना/बीजक की तारीख से 3 महीने के निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहती है, तो मौज़ादा नीति के अनुसार 18% प्रति वर्ष की दर पर अथवा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिये गए निर्णय के अनुसार ब्याज लिया जायेगा। ”

5. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से सूचित किया जायेगा तथा एमबीपीटी और संबंधित किरायेदारों/पट्टाधारकों को बाद में संसूचित किया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./400/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th October, 2021

F.No. TAMP/49/2021-MBPT.— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees of MBPT for the period 01 October 2017 to 30 September 2022, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No. TAMP/49/2021-MBPT****Mumbai Port Trust**

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 25th day of October 2021)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) vide its letter No.FA/OEA-L/21(90)/Gen/229 dated 07 September 2021 seeking approval for fixation of Schedule of Rates (SOR) for way leave / special way leave fees of MBPT for the period from 01.10.2017 to 30.09.2022.

2. The proposal of MBPT is based on the amended Land Policy Guidelines, 2015. The proposal was taken on consultation with the relevant users/ tenants/ lessees. Users/ User organization have made their submissions during the proceeding of the case. The MBPT has responded to the comments of users/ users organizations. A joint hearing on the case in reference was held on 14 October 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the MBPT and the users/ user organizations have made their submissions.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case and based on a collective application of mind, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the MBPT for fixation of Schedule of Rates for way leave / special way leave fees of MBPT for the period from 01.10.2017 to 30.09.2022.

4. This Authority desires that the following Way leave Schedule for MBPT prescribing Schedule of way leave charges for the 17 Ready Reckoner Zones for Cargo Operated and associated pipelines and for 31 Ready Reckoner Zones for Non Cargo Operated Pipelines of MBPT for the period 01 October 2017 may be notified without waiting for notification of the Speaking Order:

“

**SCHEDULE OF WAY LEAVE CHARGES OF MUMBAI PORT TRUST
FOR THE PERIOD FROM 01.10.2017 TO 30.09.2022**

- (i). Special Way Leave rates as on 01.10.2017 for Cargo Operated pipelines etc.

Sr.No	Division/ Village Name	R R Zone No.	Rate per Sq. meter per month applicable for over – ground pipeline / cable as on 1.10.2017 (to be charged for FSI=1) (in ₹.)
1	Colaba	1/3	1,400.00
		1/3A	1,196.50
		1/6	983.00
		1/6A	943.00
2	Fort	2/9	750.00
		2/12	1,149.00
		2/13	915.50

Sr.No	Division/ Village Name	R R Zone No.	Rate per Sq. meter per month applicable for over – ground pipeline / cable as on 1.10.2017 (to be charged for FSI=1) (in ₹.)
		2/22	506.50
		2/23	485.00
		2/34	492.50
3	Princess Dock	3/35	392.00
		3/35B	389.50
		3/36	282.00
		3/36A	492.50
4	Malabar Hill	7/64	1287.50
		7/66	1960.50
5	Mazgaon	10/78A	258.00
		10/78B	187.50
		10/79	348.50
		10/79A	140.50
		10/80	135.50
6	Parel Sewri	11/84	475.50
		11/84A	282.00
		11/85	156.50
		11/85A	196.00
		11/86	131.00
7	Worli	13/97	567.50
8	Dadar Naigaum	14/101	201.00
		14/101A	326.00
9	Matunga	16/110	453.50
10	Mahim	17/116	608.50
		17/119	493.00
11	Mahul	90/419	97.00
12	Ambapada	96/436	226.00
13	Govandi/Deonar	100/471	533.00
14	Govandi/Borla	99/463	282.00
15	Titwala (Kdmc)	26/81	111.25
16	Kanhoji Angre		22.50
17	Jawahar Dweep	90/419	97.00

Notes:

1. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees, as may be applicable.
2. The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr.
3. In the event of failure of achieve Minimum Guarantee Throughput (MGT), the user should compensate the port by paying additional wharf age charges for the shortfall quantity.
4. Other aspects related to Right of Way permission will be dealt with as per the extant Land Policy Guidelines.
5. Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is due.
6. The way leave formulae will be as under.

Way Leave fee per month on land =

Length of pipeline X (External dia including insulation +600 mm) X rate

1000

applicable

(Subject to minimum width of 1 meter)

Way Leave fee per month on trestle =

Length of pipeline X (External dia including insulation) X rate applicable

300

7. Way leave fees will increase by 4% every October. First such 4% increase will be effected from 1.10.2018.
8. For the purpose of Right of way leave charges, the area occupied by pipelines other than those on trestle shall be calculated based on the width (subject to minimum of 1 meter) and length of those pipelines.
9. Charges for way leave for occupation of air space, underground, seabed and below seabed will be 50% of the above rates. License fee for water area would be 50% of the license fee of abutting land. The way leave fee for the service shall be based on the full rates.
10. Interest will not be applicable on the differential areas due to revision till raising of demand notice. If the party fails to pay as per the demand / invoice within 3 months from the receipt of demand notice / invoice, interest will be applicable at 18% per annum as per existing policy or as may be decided by Board from time to time.

(ii). Special Way Leave rates as on 01.10.2017 for non-cargo operated pipeline etc.

Sr. No.	Ready Reckoner Zone	Unit No.	Division	Rate per Sq. meter per month applicable for over – ground pipeline / cable as on 1.10.2017 (to be charged for FSI=1) (in ₹.)
A	B	C	D	G
1.	14/101	Unit 1	Dadar- Naigaum	201.00
2.	90/419 (PirPau)	Unit 1,14	Mahul	97.00
3.	10/79	Unit 2, 6,7	Mazgaon	348.50
4.	10/80	Unit 4,7,8,9,13	Mazgaon	135.50
5.	2/13	Unit 9,11,15	Fort	915.50
6.	2/22	Unit 11	Fort	506.50
7.	17/119,	Unit 14	Mahim	493.00
8.	17/116	Unit 14	Mahim	608.50
9.	14/101A	Unit-1	Dadar-Naigaum	326.00
10.	11/86	Unit-1,5,13	Parel –Sewree	131.00
11.	11/85A	Unit-3	Parel–Sewree	196.00
12.	11/85	Unit-4,5,13	Parel –Sewree	156.50
13.	11/84	Unit-2	Parel –Sewree	475.50
14.	11/84A	Unit-2	Parel –Sewree	282.00
15.	10/79A	Unit-3	Mazgaon Divi	140.50
16.	10/78A	Unit-6,8	Mazgaon	258.00
17.	10/78B	Unit-8	Mazgaon	187.50
18.	3/36	Unit-9,14	Elphiston,Mallet Bunder	
	3/36	Unit -14	Ferry Wharf,Princess Dock.	282.00
19.	3/35	Unit-9,10,14	S D /Bunder	392.00
20.	3/35B	Unit-9,10	Princes Dock	389.50
21.	2/23	Unit-9,11,15	Mody Bay ,fort,Indira Dock	485.00
22.	2/9	Unit-11	Fort	750.00
23.	2/12	Unit-12,	Wellington Estate, Apollo Bunder,Fort	1,149.00
24.	1/6A	Unit-14,12	Jamsadji Bunder,Colaba	943.00
	1/6A	Unit-12 &14	SassoonDock(inside),Colaba	943.00
	1/6A	Unit -12	Apollo Estate	943.00

25.	1/3	Unit-12	Apollo Estate, Colaba	1,400.00
26.	1/3A	Unit-12	Colaba	1,196.50
27.	1/4	Unit-15	Pilot Bunder, Colaba	
28.	100/471	Unit-5	Govandi/Deonar	533.00
29.	99/463	Unit-5	Govandi/Borla	282.00
30.	26/81(Thane-Kalyan RR)	Unit-5	Titwala	111.25
31.	Jawahar Deep (Island) & land under reclamation	Unit-12,14	Nearest Zone 90/419	97.00

(All the rates for land values has been rounded to the nearest ₹.10/-)

Notes:

1. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees, as may be applicable.
2. The Special Way Leave fee for Optical Fiber Cable will be applicable as per the above rates but taking the width subject to a minimum of half a meter for computation instead of 1 mtr.
3. Other aspects related to Right of Way permission will be dealt with as per the extant Land Policy Guidelines.
4. Way Leave/ Special Way Leave fee, whether demanded or not, shall be paid by the lessees/ tenants/ licensees on or before the 15th day of each month succeeding that for which Way Leave / Special Way Leave fee is due.
5. The way leave formulae will be as under.

Way Leave fee per month on land =

$$\frac{\text{Length of pipeline} \times (\text{External dia including insulation} + 600 \text{ mm})}{1000} \times \text{rate applicable}$$

(Subject to minimum width of 1 meter)

Way Leave fee per month on trestle =

$$\frac{\text{Length of pipeline} \times (\text{External dia including insulation})}{300} \times \text{rate applicable}$$

6. Way leave fees will increase by 4% every October. First such 4% increase will be effected from 1.10.2018.
7. For the purpose of Right of way leave charges, the area occupied by pipelines other than those on trestle shall be calculated based on the width (subject to minimum of 1 meter) and length of those pipelines.
8. Charges for way leave for occupation of air space, underground, seabed and below seabed will be 50% of the above rates. License fee for water area would be 50% of the license fee of abutting land. The way leave fee for the service shall be based on the full rates.
9. Interest will not be applicable on the differential areas due to revision till raising of demand notice. If the party fails to pay as per the demand / invoice within 3 months from the receipt of demand notice / invoice, interest will be applicable at 18% per annum as per existing policy or as may be decided by Board from time to time.

”

5. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the MBPT and the relevant tenants/ lessees in due course of time.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./400/2021-22]